न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–329/2026
सन्तोष कुमार आदि–बनाम– बलभद्र आदि,
CNR No–UPBH01003528–2026

20.07.2026

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 5–ब, अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियमः–

पत्रावली आज निस्तारण हेतु पेश हुई।

आवेदकगण सन्तोष कुमार व शिव प्रसाद की ओर से प्रार्थना–पत्र 5–ब अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम वास्ते क्षमा किये जाने विलम्ब संस्थित करने निगरानी निम्न अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है किः–

उनको आदेश दिनांकित–24.12.2025 की जानकारी सम्मन प्राप्त होने पर दिनांक–11.05.2026 को हुआ। वे दिनांक–12.05.2026 को न्यायालय आकर अपने अधिवक्ता से निरीक्षण करवाये, रूपयों की व्यवस्था कर आदेश दिनांकित–24.12.2025 की नकल हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक–14.05.2026 को दिया, जिस पर उनको आदेश दिनांकित–24.12.2025 की नकल दिनांक–14.05.2026 को प्राप्त हुआ। वे रूपयों की व्यवस्था कर आदेश दिनांकित–24.12.2025 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं। जानकारी से निगरानी अन्दर मियाद है, लेकिन कोई नुक्स न उत्पन्न हो सके, इसलिए उन्होंने प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम वास्ते विलम्ब की छूट प्रस्तुत कर रहे हैं। निगरानी प्रस्तुत करने में उन्होंने जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है, बल्कि विलम्ब जानकारी के अभाव एवं उपरोक्त परिस्थतियों में हुई है, जो क्षमा योग्य है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ देकर स्वीकार किया जाये। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवेदक सन्तोष कुमार का शपथ–पत्र 6–ब समर्थित किया गया है।

विपक्षी संख्या–1 बलभद्र के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी संख्या–2 उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), बहराइच द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया तथा विपक्षी संख्या–1 द्वारा आपत्ति दिनांकित–20.07.2026 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि आक्षेपित आदेश दिनांकित–24.12.2025 विधि सम्मत व तथ्यपूर्ण है। आदेश पारित करने के पूर्व विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध संख्या–2025/2016, सरकार बनाम शिव प्रसाद आदि में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित होने के बाद आवेदकगण ने पुलिस निरीक्षक से मिलकर उक्त अपराध संख्या में दो बार अन्तिम रिपोर्ट लगवायी तथा दोनों बार पत्रावली न्यायालय पर आने के बाद फिर विपक्षी द्वारा प्रोटेस्ट देने के बाद मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा केस की गंभीरता को देखते हुए कम्प्लेन्ट में दर्ज करते हुए उस पर सुनवाई की है। आवेदकगण को मुकदमे की जानकारी पूर्व से ही रही है। पुनरीक्षण अन्दर मियाद नहीं है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि आपत्ति के प्रकाश में आवेदकगण का पुनरीक्षण मियाद के बाहर होने के कारण निरस्त किया जाये।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण की ओर से आदेश दिनांकित–24.12.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण संस्थित किये जाने हेतु पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र मय प्रार्थना–पत्र धारा–5 परिसीमा अधिनियम दिनांक–04.06.2026 को प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.07.20 17:17:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अधिनियम में आक्षेपित आदेश की जानकारी सम्मन प्राप्त होने पर दिनांक–11.05.2026 को होना, दिनांक–12.05.2026 को न्यायालय आकर अधिवक्ता से निरीक्षण करवाना एवं रूपयों की व्यवस्था कर नकल हेतु दिनांक–14.05.2026 को प्रार्थना–पत्र देना एवं उसी दिन नकल प्राप्त होना तथा रूपयों की व्यवस्था कर पुनरीक्षण संस्थित किया जाना कहा गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदकगण की ओर से आक्षेपित आदेश दिनांकित–24.12.2025 की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक–14.05.2026 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर उन्हें उसी दिन उक्त नकल प्राप्त हुई और नकल प्राप्त होने के लगभग 20 दिन उपरान्त पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम दिनांक–04.06.2026 को प्रस्तुत किया गया। यद्यपि आवेदकगण द्वारा मामले की कार्यवाही के प्रति उपेक्षा बरते जाने का तथ्य परिलक्षित होता, तथापि नैसर्गिक न्याय की यह वांछा है कि किसी प्रकरण का निस्तारण उभय पक्ष को उपलब्ध विधिक उपचारों के अधीन स्वंय का पक्ष रखे जाने की उपलब्धता प्रदान कर गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का प्रभावी निस्तारण किया जाये। ऐसी स्थिति में धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किया जाना आवेदकगण को विधिक उपचारों से वंचित किया जाना होगा। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत विलंब मर्षण हेतु प्रार्थना–पत्र आवेदकगण पर यथोचित हर्जा अधिरोपित करते हुये स्वीकार किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, आवेदकगण को पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में कारित किये गये विलंब के मर्षण का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा। तद्नुसार उपरोक्त प्रार्थना–पत्र हर्जा अधिरोपित किये जाने की शर्त पर ही स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र 5–ब, अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम पांच सौ रूपये (500/– रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है और पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। हर्जा नियत तिथि तक अदा किया जाये। अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनाँक–31.07.2026 को पेश हो।

आपत्ति दिनांकित–20.07.2026 तद्नुसार निस्तारित की जाती है।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनांक–20.07.2026 **Id.No.–UP2017**